# 8

# भारत में गृह मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मन्त्रालय

## [MINISTRY OF HOME AFFAIRS, MINISTRY OF FINANCE AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION]

भारतीय संविधान भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इस शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं—एक संवैधानिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है जिसे कार्यपालिका सम्बन्धी वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, यद्यपि सरकार का सम्पूर्ण कार्य उसी के नाम पर किया जाता है। वह सम्पूर्ण प्रशासन के 'सुगम' संचालन हेतु नियम बनाता है तथा वास्तविक कार्यपालिका की नियुक्ति करता है। संसद के बहुमत दल के नेता को वही प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमन्त्री की सलाह पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए होती है, परन्तु वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमन्त्री तथा उनके साथियों (मन्त्रियों) द्वारा प्रशासित होता है। इसलिए भारत सरकार की सम्पूर्ण प्रशासनिक रूप-रचना को, कार्यों का कुशलतापूर्वक सम्पादन करने हेतु मन्त्रालयों तथा विभागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा(3) के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री की सलाह पर मन्त्रालयों की स्थापना करता है और प्रत्येक मन्त्री को तत्सम्बन्धी कार्य सौंपता है। भारत सरकार के मन्त्रालयों में या तो केवल एक ही विभागीय मन्त्रालय है अथवा कुछ मन्त्रालयों में दो से अधिक विभाग भी सम्मिलित हैं।

एक सरकारी विभाग अथवा मन्त्रालय अपनी प्रशासनिक संरचना का सबसे बड़ा उप-सम्भाग होता है। जहां तक भारत के विभागीय संगठन का प्रश्न है, यहां की विभागीय पद्धति को डॉ. एम. पी. शर्मा ने एक तीन-मंजिली इमारत बताया है जिसके ऊपर की मंजिल 'राजनीतिक स्तर', मध्य में 'सचिवालय' और निम्न स्तर पर 'निदेशालय' होते हैं।

1. **राजनीतिक अध्यक्ष** (Political Head)—मन्त्री विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए राज्य मन्त्री तथा उपमन्त्री, आदि होते हैं, ये सब संसद के सदस्य होते हैं और शासन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ इन पदाधिकारियों का भी परिवर्तन होता रहता है। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति उनके ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर नहीं होती अपितु अपने दल के भीतर अपनी शक्ति और स्थिति के कारण होती है। सामान्य रूप से विभागीय मन्त्री तीन प्रकार के कार्य करता है :

(i) उन व्यापक नीतियों का निर्माण करता है जिनके अनुसार विभाग या मन्त्रालय को कार्य करना होता है। वह विभाग के भीतर उठने वाले नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी निपटारा करता है;

(ii) विभाग द्वारा नीतियों के निष्पादन पर सामान्य अधीक्षण का कार्य करता है; और

(iii) अपने विभाग की नीति और प्रशासन के लिए संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देता है और दायित्व वहन करता है। अपने विभाग या मन्त्रालय के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है, आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करता है तथा अन्य विभागों के सन्दर्भ में एवं जनता के सम्मुख अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्री, आदि उसके द्वारा सौंपे गए कार्य पूरे करते हैं तथा जब वह संसद में स्वयं उपस्थित नहीं होता तो वहां उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतन्त्रीय देश होने से भारत में लोक प्रशासन का संचालन मूलतः राजनीतिक अध्यक्षों द्वारा किया जाता है।

2. **सचिवालय** (Secretariat)—राजनीतिक अध्यक्ष के एकदम नीचे विभाग का सचिवालय संगठन होता है। सचिवालय का कार्य नीतियों के निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री तथा विशेष ज्ञान के आधार पर राजनीतिक अध्यक्ष की सहायता करना है। नीतियों को क्रियान्वित तथा नीति निष्पादन का निरीक्षण करना भी उसका कार्य है। विभाग के सचिवालयीय संगठन के प्रमुख को 'सचिव' कहा जाता है। वह अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (I. A. S.) का सदस्य होता है। विभाग के सचिवालयीय कर्मचारियों में दो वर्ग के कार्मिक होते हैं : (i) उच्चतर अथवा अधिकारी वर्ग (Officer class); (ii) अधीनस्थ वर्ग (Subordinate class)। उच्चतर वर्ग में तीन पदक्रम हैं : सचिव, उपसचिव व अवर सचिव। बड़े विभागों में सचिव और उपसचिव के मध्य अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं जिन्हें कुछ विशेष शाखाओं का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। संयुक्त अथवा अतिरिक्त सचिव न्यूनाधिक मात्रा में लगभग सचिव के समान स्तर अथवा श्रेणी के अधिकारी होते हैं तथा उन्हें जो कार्य सौंपे जाते हैं, उनके विषय में वे सीधे मन्त्री के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। उपसचिव और अवर सचिव, सचिव के अधीनस्थ कर्मचारी हैं और उनके पद अवरोही क्रम में हैं। सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्मिकों से पदावधि प्रणाली (Tenure System) के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। आजकल कुछ प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन श्रेणी की सेवाओं तथा विशेष योग्यता के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा भी विभागीय सचिवालय हेतु अधिकारी वर्ग में नियुक्तियां की जाती हैं। कुछ विशेष विभागों, जैसे विदेश मन्त्रालय में नियुक्ति की पदावधि प्रणाली लागू नहीं है। अवर सचिव, प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सचिवालयीय सेवा के सदस्य होते हैं। सचिवालय के अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुभाग अधिकारी, सहायक, अवर तथा प्रवर लिपिक आते हैं। अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति द्वारा की जाती है। अवर लिपिकों की भर्ती आंशिक रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा और आंशिक रूप से अवर लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा होती है। अवर लिपिकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाती है।

3. **विभाग या कार्यकारी संगठन** (Executive Organization)—मन्त्रालय सचिवालय विभाग का नीति निर्धारण सम्बन्धी अंग है। नीति के निष्पादन का कार्य विभिन्न संगठन के हाथ में होता है जिसको विभाग या मन्त्रालय का 'कार्यकारी संगठन' कहा जाता है। विभिन्न मन्त्रालयों में 'विभागाध्यक्ष' को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। सामान्यतः उसे **निदेशक** (Director), **महानिदेशक** (Director General), **महानिरीक्षक** (Inspector General), **आयुक्त** (Commissioner), आदि नामों से पुकारा जाता है। विभागाध्यक्ष नीति क्रियान्विति के अधीक्षण और प्रशासन के संचालन के अतिरिक्त अपने विभाग से सम्बन्धित विषयों में मन्त्रालय अथवा विभागीय सचिवालय को प्राविधिक परामर्श भी देता है। स्वयनाम्वामी के शब्दों में, ''सचिवगण मन्त्रियों के आंख-कान हैं, विभागाध्यक्ष उनके हाथ हैं।''

## भारत सरकार के मन्त्रालय एवं विभाग (Ministeries and Departments of the Government of India)

सरकार में अनेक मन्त्रालय/विभाग होते हैं। इनकी संख्या और स्वरूप समय-समय पर इन बातों पर निर्भर करता है कि काम कितना है तथा किसी मसले को कितना महत्व दिया जा रहा है। स्थितियों में परिवर्तन और राजनीतिक औचित्य आदि भी उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त, 1947 को केन्द्र में 18 मन्त्रालय थे। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, 1961 के अन्तर्गत जुलाई 2010 में सरकार में निम्नलिखित मन्त्रालय/विभाग थे :

1. **कृषि मन्त्रालय**
   (क) कृषि और सहकारिता विभाग
   (ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
   (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग

2. **रसायन और उर्वरक मन्त्रालय**
   (क) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
   (ख) उर्वरक विभाग
3. **नागर विमानन मन्त्रालय**
4. **कोयला मन्त्रालय**
5. **खान विभाग**
6. **वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय**
   (क) वाणिज्य विभाग
   (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7. **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय**
   (क) दूरसंचार विभाग
   (ख) डाक विभाग
   (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
8. **रक्षा मन्त्रालय**
   (क) रक्षा विभाग
   (ख) रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग
   (ग) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
   (घ) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
9. **पर्यावरण और वन मन्त्रालय**
10. **विदेश मन्त्रालय**
11. **वित्त मन्त्रालय**
    (क) आर्थिक कार्य विभाग
    (ख) व्यय विभाग
    (ग) राजस्व विभाग
    (घ) विनिवेश विभाग
    (ङ) वित्तीय सेवाएं विभाग
12. **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय**
    (क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
    (ख) उपभोक्ता मामले विभाग
13. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय**
    (क) स्वास्थ्य विभाग
    (ख) परिवार कल्याण विभाग
    (ग) आयुर्वेद, योग—प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी विभाग
14. **भारी उद्योग और लोक उद्यम मन्त्रालय**
    (क) भारी उद्योग विभाग
    (ख) लोक उद्यम विभाग
15. **गृह मन्त्रालय**
    (क) आंतरिक सुरक्षा विभाग
    (ख) राज्य विभाग
    (ग) राजभाषा विभाग
    (घ) गृह विभाग
    (च) जम्मू तथा कश्मीर विभाग
    (छ) सीमा प्रबंधन विभाग

16. **मानव संसाधन विकास मन्त्रालय**
    (क) प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
    (ख) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा मन्त्रालय
17. **महिला और बाल विकास मन्त्रालय**
18. **सूचना और प्रसारण मन्त्रालय**
19. **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय**
20. **श्रम मन्त्रालय**
21. **विधि और न्याय मन्त्रालय**
    (क) विधि कार्य विभाग
    (ख) विधायी विभाग
    (ग) न्याय विभाग
22. **संस्कृति मन्त्रालय**
23. **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय**
24. **संसदीय कार्य मन्त्रालय**
25. **कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय**
    (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
    (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
    (ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
26. **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय**
27. **योजना मन्त्रालय**
28. **विद्युत मन्त्रालय**
29. **रेल मन्त्रालय**
30. **पोत परिवहन, सड़क और राजमार्ग मन्त्रालय**
29. **ग्रामीण विकास मन्त्रालय**
    (क) ग्रामीण विकास विभाग
    (ख) भूमि संसाधन विभाग
    (ग) पेय जलापूर्ति विभाग
32. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय**
    (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
    (ख) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
    (ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
33. **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय**
34. **पंचायती राज मन्त्रालय**
35. **अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय**
36. **इस्पात मन्त्रालय**
37. **वस्त्र मन्त्रालय**
38. **पर्यटन मन्त्रालय**
39. **जनजाति कार्य मन्त्रालय**
40. **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मन्त्रालय**
41. **कॉरपोरेट कार्य मन्त्रालय**
42. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय**
43. **अप्रवासी भारतीयों के मामलों का मन्त्रालय**
44. **लघु उद्योग मन्त्रालय**

45. शहरी विकास मन्त्रालय
46. जल संसाधन मन्त्रालय
47. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
48. युवक कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय
49. परमाणु ऊर्जा विभाग
50. महासागर विकास विभाग
51. अन्तरिक्ष विभाग
52. मन्त्रिमण्डल सचिवालय
53. राष्ट्रपति सचिवालय
54. प्रधानमन्त्री कार्यालय
55. योजना आयोग
56. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विभाग

## गृह मन्त्रालय : संगठन एवं कार्य
## (THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : ORGANIZATION AND FUNCTIONS)

भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों में गृह मन्त्रालय का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटोकोल नियमों के अनुसार मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री के बाद गृह मन्त्री का नाम आता है। स्वतन्त्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविन्द वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस मन्त्रालय की अध्यक्षता करते आए हैं। इस मन्त्रालय के कार्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गृह मन्त्रालय ही समस्त भारतवर्ष की सरकार हो। गृह मन्त्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रधान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अन्य कितने ही कार्य यह मन्त्रालय करता है।

**गृह मन्त्रालय के कार्य**—गृह मन्त्रालय के कार्य को देखने से विदित होता है कि वह एक बहुकार्यकारी मन्त्रालय है। गृह मन्त्रालय का मुख्य कार्य देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। गृह मन्त्रालय कतिपय अत्यन्त महत्व के उन दायित्वों का निर्वहन करता है जो दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं और जटिल होते जा रहे हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची-II की प्रविष्टि सं. 1 और 2 के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य का उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आन्तरिक गड़बड़ी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शान्ति और सद्भावना को बनाए रखने के लिए गृह मन्त्रालय राज्य सरकारों को जनशक्ति, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है। गृह मन्त्रालय द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) **देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना**—गृह मन्त्रालय मुख्यतः ऐसे मामलों को निपटाता है जिनका सम्बन्ध देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था वनाए रखने से है। देश में शान्ति एवं व्यवस्था के भंग होने पर यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उन राज्यों का प्रशासन इसी मन्त्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति शासनकाल में भी केन्द्रीय सरकार की सारी शक्तियां यही मन्त्रालय प्रयोग में लाता है। राज्यों की पुलिस, जेल, रेलवे पुलिस, सतर्कता ब्यूरो, केन्द्रीय रक्षा कॉलेज, आदि विभिन्न संगठनों का नियोजन तथा उनके कार्यों के समन्वय द्वारा यह मन्त्रालय सारे देश की कानून और शान्ति व्यवस्था पर निगरानी रखता है।

(ii) **केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों से जुड़े मामले निपटाना**—केन्द्र-राज्य सम्बन्धों, सरकारिया रिपोर्ट की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, आदि मामले निपटाना इस मन्त्रालय के जिम्मे है।

(iii) राजभाषा अधिनियम, 1963 से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों का कार्यान्वयन करना इस मन्त्रालय का कार्य है।

(iv) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी करना, प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करना, राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा उन्हें हटाए जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी करना, संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपालों, मुख्य आयुक्तों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना इस मन्त्रालय का कार्य है।

(v) नागरिकता तथा देशीयकरण, जनगणना, राष्ट्रीय गान तथा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, आदि से सम्बन्धित मामले यह मन्त्रालय निपटाता है।

(vi) **भारतीय पुलिस सेवा**—भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मन्त्रालय नियन्त्रण प्राधिकारी है। यह मन्त्रालय आई. पी. एस. की सेवा के मामलों, जैसे नियुक्ति, केन्द्र में प्रतिनियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण तथा वेतन, आदि को भी देखता है।

(vii) **केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल**—केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, जैसे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आदि का संचालन एवं नियन्त्रण गृह मन्त्रालय करता है।

(viii) **सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी**—यह अकादमी भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इन्डक्शन स्तर के तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों तथा समकक्ष पारीय पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित करती है। अकादमी गृह मन्त्रालय के अधीन कार्य करती है।

(ix) **होम गार्ड्स**—होम गार्ड्स एक स्वैच्छिक बल है जिसका गठन सर्वप्रथम दिसम्बर 1946 में सिविल गड़बड़ी एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियन्त्रित करने में पुलिस को सहायता देने के लिए किया गया था। गृह मन्त्रालय इसकी भूमिका, लक्ष्य, स्थापना, प्रशिक्षण, उपकरणों, प्रतिष्ठानों और अन्य सम्बद्ध मामलों पर नीति तैयार करता है।

(x) **पुनर्वास**—गृह मन्त्रालय का पुनर्वास प्रभाग, अन्य देशों से विस्थापित भारतीय मूल के लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान करने के लिए नीतियां तय करने तथा कार्यक्रम बनाने और योजनाएं तैयार करने से सम्बन्धित है।

(xi) **महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय**—भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय का मुख्य कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना और उनका प्रसार करना है। यह कार्यालय गृह मन्त्रालय की देखरेख में कार्य करता है।

(xii) **नीति नियोजन**—बाह्य क्षेत्र की योग्यता एवं प्रतिभा का दोहन करने के लिए गृह मन्त्रालय में नीति नियोजन प्रभाग को अक्टूबर 1991 में फिर से सक्रिय बनाया गया ताकि नीति निर्धारण प्रक्रिया में अतिरिक्त निवेश उपलब्ध कराया जा सके। नीति नियोजन प्रभाग परियोजनाओं को परिभाषित करता है तथा उन पर कार्य करने के लिए उपयुक्त दल गठित करता है। इस प्रभाग ने निम्न विषयों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है : (i) वामपन्थी उग्रवाद; (ii) सीमा प्रबन्ध; (iii) भारत में तथा अन्य देशों में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों, लाभों तथा विशेषाधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन।

(xiii) **समन्वय सम्बन्धी कार्य**—गृह मन्त्रालय एक समन्वयकारी मन्त्रालय है। यह स्वयं इतने कार्य नहीं करता जितना कि दूसरे सम्बन्धित मन्त्रालय से करवाता है, राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर राज्य सरकारें इस मन्त्रालय से परामर्श लेती हैं तथा यह उनके प्रयासों में समन्वय की स्थापना करता है।

(xiv) **राजनीतिक कार्य**—गृह मन्त्रालय कुछ ऐसे भी कार्य करता है जिससे देश की राजनीति गम्भीर रूप से प्रभावित होती है। ऐसे कार्यों में समाचार-पत्र प्रकाशन तथा पासपोर्ट, आदि से सम्बन्धित कार्य प्रमुख हैं। यह भारतीय पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशी नागरिकों से सम्बन्धित कानूनों एवं तद्धीन आदेशों के विषय में नीति निर्णय लेता है।

(xv) **केन्द्र-प्रशासित राज्यों का प्रशासन**—केन्द्र-प्रशासित राज्यों—दिल्ली, पाण्डिचेरी, दमन-दीव, आदि में शान्ति रखने एव सुप्रशासन चलाने की दृष्टि से गृह मन्त्रालय आवश्यक कदम उठाता है।

**गृह मन्त्रालय का प्रशासकीय संगठन**—भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का प्रधान कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मन्त्री होता है। गृह मन्त्री की सहायता के लिए राज्य मन्त्री और उप-मन्त्री होते हैं। विभागीय कार्यों को देखने के लिए प्रशासकीय सचिव होते हैं। गृह मन्त्रालय का सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी होता है और

वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिया जाता है। सचिव के अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, आदि अधिकारी होते हैं।

कार्य आवंटन की दृष्टि से गृह मन्त्रालय के निम्नलिखित छः विभाग हैं :

(1) **आन्तरिक सुरक्षा विभाग**, जो पुलिस, विधि एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास कार्य देखता है।

(2) **राज्य विभाग**, जो केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध, संघ शासित क्षेत्र तथा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन का कार्य निपटाता है।

(3) **राजभाषा विभाग**, जो राजभाषा के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के कार्यान्वयन को देखता है,

(4) **गृह विभाग**, जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना, प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति की अधिसूचनाओं, आदि को देखता है, और

(5) **जम्मू व कश्मीर कार्य विभाग**, जो जम्मू व कश्मीर राज्य से सम्बन्धित सभी संवैधानिक उपबन्धों तथा राज्य से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को देखता है। सिवाय उन मामलों के जो विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित होते हैं।

(6) **सीमा प्रबन्धन विभाग,** तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबन्धन का कार्य देखता है।

राजभाषा विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है और इसका अलग से एक सचिव है। अतः गृह मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इस विभाग के कार्यकलाप नहीं दिए गए हैं।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग तथा सीमा प्रबन्धन विभाग पृथक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये सभी विभाग गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर जुड़े हुए हैं।

**गृह मन्त्रालय के प्रभाग**—गृह मन्त्रालय के वर्तमान प्रभागों की सूची उनके प्रमुख कार्य-क्षेत्रों के साथ, नीचे दी गई है :

**केन्द्र राज्य प्रभाग**—यह प्रभाग, केन्द्र राज्य सम्बन्धों का कार्य देखता है, जिसमें इस प्रकार के सम्बन्धों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्यसभा/लोकसभा के लिए नामांकन, अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध स्थिति पर निगरानी रखना, इत्यादि शामिल हैं।

**आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग**—यह प्रभाग, विभिन्न गुटों/अतिवादी संगठनों की विघटनकारी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों को देखता है।

**पुलिस प्रभाग**—यह प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग (काडर) नियन्त्रण का कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती और उनसे सम्बन्धित सभी मामलों को भी देखता है।

**संघ शासित क्षेत्र (यू.टी.) प्रभाग**—यह प्रभाग, दिल्ली सहित संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भा.पु. सेवा/भा.प्र. सेवा के ए.जी.एम.यू. संवर्ग और दानिक्स/दानिप्स के संवर्ग (काडर) नियन्त्रण का कार्य भी देखता है। संघ शासित क्षेत्रों में अपराध स्थिति पर नजर रखने के लिए भी यह उत्तरदायी है।

**पूर्वोत्तर (एन.ई.) प्रभाग**—यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें विद्रोह से सम्बन्धित मामले और उस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न अतिवादी ग्रुपों के साथ बातचीत करना शामिल है।

**जम्मू और कश्मीर प्रभाग**—यह प्रभाग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित संवैधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सामान्य नीति विषयक मामलों और राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से सम्बन्धित मामलों को देखता है यह प्रभाग जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमन्त्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेवार है।

**विदेशी प्रभाग**—यह प्रभाग, विदेशियों विषयक अधिनियम और पारपत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, नागरिकता अधिनियम और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम से सम्बन्धित मामलों को देखता है। यह प्रभाग अप्रवासन ब्यूरो को भी नियन्त्रित करता है।

**स्वतन्त्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग**—यह प्रभाग, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

**मानवाधिकार प्रभाग**—यह प्रभाग, मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और अयोध्या से सम्बन्धित मामलों को भी देखता है।

**आपदा प्रबन्धन प्रभाग**—यह नवगठित प्रभाग प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा (सूखा और महामारियों को छोड़कर) की घटनाओं में राहत उपायों को समन्वित करने के लिए जिम्मेवार है।

**सीमा प्रबन्धन प्रभाग**—यह प्रभाग, जिसे हाल ही में स्थापित किया गया है, सीमाओं के प्रबन्धन में सम्बन्धित मामलों को देखता है।

**पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग**—यह प्रभाग, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केन्द्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस सुधार, पुलिस प्रशिक्षण और विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था करने/प्रापण से सम्बन्धित सभी मुद्दों को देखता है।

**नीति नियोजन प्रभाग**—यह प्रभाग, आतंकवाद विरोधी, अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों, द्विपक्षीय सहायता सन्धियों के बारे में नीति निर्धारण और इनसे सम्बन्धित कार्य देखता है।

**वित्त प्रभाग**—यह प्रभाग, एकीकृत वित्त स्कीम के अन्तर्गत मन्त्रालय का बजट तैयार करने, संचालित करने और नियन्त्रित करने के लिए जिम्मेवार है।

**सुरक्षा प्रभाग**—यह प्रभाग, शस्त्र और विस्फोटकों, नार्कोटिक्स, तटीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इत्यादि का कार्य देखता है।

**न्यायिक प्रभाग**—यह प्रभाग, भारतीय दण्ड संहिता/दण्ड प्रक्रिया संहिता और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से सम्बन्धित सभी मामलों को देखता है यह राज्य विधायनों, जहां उन पर संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, के मामलों को भी देखता है।

**प्रशासन प्रभाग**—यह प्रभाग गृह मन्त्रालय के सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेवार है और पूर्वता सारणी, पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को भी देखता है।

**नक्सलवाद प्रबन्धन प्रभाग**—नक्सलवादी समस्या के प्रभावी नियन्त्रण हेतु अक्टूबर 2006 में इस प्रभाग का गठन किया गया। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई। किये जाने वाली विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्वों में सुधार करना है।

**गृह मन्त्रालय के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय**—गृह मन्त्रालय के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय निम्नांकित हैं :

1. **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो** (National Crime Record Bureau)—अपराधों का पता लगाने के लिए अनुसन्धान का कार्य करता है।

2. **समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)**—बेतार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील निदेशालय है।

3. **पुलिस अनुसन्धान तथा विकास ब्यूरो**—ब्यूरो का सम्बन्ध देश में पुलिस बलों में आधुनिकीकरण में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से है और उसके लिए यह ब्यूरो अनुसन्धान परियोजनाओं पर कार्य करता है।

4. **राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान संस्थान**—विधि विज्ञान संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्य निर्वाहक को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान करने के उद्देश्य से की गई है।

5. **राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर**—यह कॉलेज भारत में अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में यह अपने प्रकार का एक ही कॉलेज है जो दूसरे देशों के अग्निशमन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देता है।

6. **बन्दोबस्त विंग**—यह विंग पुनर्वास प्रभाग के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत बंगलादेश से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अवशिष्ट मामलों को निपटाता है।

7. **महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त**—इसका प्रमुख कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना और उनका प्रसार करना है। यह कार्यालय जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करता है और कार्य को मानीटर करता है।

**निष्कर्ष**—इस प्रकार संगठन, शक्तियों एवं कार्यों की दृष्टि से गृह मन्त्रालय एक अत्यन्त विशाल एवं व्यापक संगठन है। इसका संगठनात्मक स्वरूप तथा कार्य यह सिद्ध करते हैं कि यह मन्त्रालय मुख्य रूप से एक समन्वयात्मक संगठन अधिक है और निष्पादक संगठन बहुत कम। कार्य-क्षेत्र की जटिलता तथा प्रसार के कारण इसमें कार्यों का दोहराव (Overlapping) भी दिखायी देता है। इस प्रकार से यह भारत सरकार के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। वित्त, प्रतिरक्षा तथा विदेश मन्त्रालय इससे सहायता एवं सहयोग मांगते हैं। अतः कार्यों का दोहराव एक स्वाभाविकता है।

आजकल गृह मन्त्रालय का कार्य चुनौतीपूर्ण बन गया है। नए प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक अपराध उभरकर शान्ति एवं व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। भ्रष्टाचार नए-नए रूपों में बढ़ता दिखायी देता है। इस कारण इन बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए गृह मन्त्रालय के पास न तो कुशल संगठन है और न ही इसका सेविवर्ग इस दृष्टि से प्रशिक्षित है। भारत में शान्ति एवं व्यवस्था के प्रशासकों को जनसाधारण का अविश्वास, घृणा तथा असहयोग देशी रियासतों तथा अंग्रेजी शासन से विरासत में मिला है। पुराने दमनकारी तथा जनविरोधी तरीकों की पृष्ठभूमि में जनतन्त्र का नया परिवेश नए तरीकों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जो मांग रखता है वह आज के गृह मन्त्रालय की सबसे बड़ी चुनौती है।

## वित्त मन्त्रालय : संगठन एवं कार्य
## (THE MINISTRY OF FINANCE : ORGANIZATION AND FUNCTIONS)

भारत सरकार का वित्त मन्त्रालय संघीय सरकार के वित्त प्रशासन तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न राज्यों के वित्तीय मामलों के निपटाने के लिए उत्तरदायी है। समूचे देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी भी इसी मन्त्रालय पर है, जिसमें विकास सम्बन्धी और अन्य प्रयोजनों के लिए साधन जुटाने का काम शामिल है। यह मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के खर्च का नियमन करता है, जिसमें राज्यों के साधनों का अन्तरण करने का काम शामिल है।

इस मन्त्रालय का मन्त्री कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मन्त्री होता है। उसकी सहायता के लिए राज्य मन्त्री और उपमन्त्री होते हैं।

वित्त मन्त्रालय का प्रादुर्भाव सन् 1810 में 'वित्त विभाग' के रूप में हुआ था। सन् 1947 में वित्त विभाग का नाम 'वित्त मन्त्रालय' किया गया।

वर्तमान में इस मन्त्रालय के अन्तर्गत पांच विभाग हैं :[1] I. आर्थिक कार्य विभाग, II. व्यय विभाग, III. राजस्व विभाग, IV. विनिवेश विभाग, V. वित्तीय सेवाएं विभाग।

### I. आर्थिक कार्य विभाग
### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

यह विभाग अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा आर्थिक प्रवृत्तियों का परिवीक्षण करता है और आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक प्रबन्ध को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देता है, जिसमें वाणिज्य बैंकों तथा सार्वजनिक ऋणदाता संस्थाओं का कार्य चालन, पूंजी निवेश का विनियमन, विदेशी सहायता, आदि शामिल हैं। भारत संघ तथा उन राज्य सरकारों और विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के, जब वे राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत हों, बजट तैयार करने और उन्हें संसद में पेश करने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है।

[1] **वार्षिक रिपोर्ट**, 2008-09, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, प्रस्तावना, पृ. 1.